न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।

एन0डी0पी0एस0 वाद संख्या–42/2025 (S-1)

CIS No.-44/2026

वीरपुर थाना काण्ड संख्या–112/2025

I.A-1/2026

संतोष कुमार सिंह उर्फ चाईनीज, उम्र करीब–27 वर्ष पिता–अशांक सिंह, साकिन–वीरपुर, वार्ड नं0–05, थाना–वीरपुर, जिला–सुपौल.....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

02.06.2026

काराधीन आवेदक अभियुक्त संतोष कुमार सिंह उर्फ चाईनीज की ओर से दाखिल जमानत आवेदन, जो वीरपुर थाना काण्ड संख्या–112/2025 अंतर्गत धारा–8(c)/21(b)/29 एन0डी0पी0एस0 से संबंधित है, को आज प्रचालित किया गया तथा न्यायालय द्वारा सुना गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक–10.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में संसीमित है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्याम सुन्दर कुमार एवं आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार (LADCS) को सुना।

आवेदक अभियुक्त, सूचिका ज्योति कुमारी के टंकित आवेदन के आधार पर वीरपुर थाना काण्ड संख्या–112/2025 अंतर्गत धारा–8(c)/21(b)/29 एन0डी0पी0एस0 के तहत यह आरोप लगाते हुये दर्ज करवाया गया है कि दिनांक–03.04.2025 को समय 20:30 बजे थानाध्यक्ष महोदय, वीरपुर को मिली गोपनीय सूचना के संबंध में इन्हें सूचित किया गया कि बथनाहा से वीरपुर आने वाली टैम्पू में अपने 10 वर्षीय बच्चा के साथ बुर्का पहने हुए एक महिला सवार होकर वीरपुर गोल चौक पहुंचने वाली है, संभवत उसके पास अवैध मादक पदार्थ है। दी गयी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वह वीरपुर थाना के पु0अ0नि0 मुकेश कुमार सिंह, पु0अ0नि0 राजीव सहनी एवं अन्य पुलिस बल के साथ समय 20:35 बजे थाना से प्रस्थान कर गोल चौक पहुंचकर वीरपुर आने वाले टैम्पू पर निगरानी रखने लगी। इसी क्रम में समय 21:45 बजे देखें कि वीरपुर गोल चौक के पास स्थित टैम्पू स्टैण्ड से बुर्का पहने हुई एक महिला अपने साथ करीब 10 वर्षीय बच्चा को लेकर तेजी से आ रही थी, जिसे शक के आधार पर रूकने का ईशारा किया गया तो बुर्का पहनी वह महिला अपने बच्चा को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिसे शक के आधार पर वही गोल चौक टैम्पू स्टैण्ड के पास पकड़ लिया गया। पुलिस की कार्रवाई को देखकर वहां उपस्थित लोगों की भीड़ जमा हो गयी। उपस्थित भीड़ के समक्ष पकड़ायी महिला से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मलाइका खातुन बतायी। पुलिस को देखकर भागने का कारण पूछने पर वह बतायी कि मेरे पास ब्राउन शुगर है तथा पकड़े जाने के डर से पुलिस को देखकर भाग रहे थे, किन्तु पकड़े गयें। पकड़ायी महिला को एन0डी0पी0एस0 की धारा–50 के तहत प्राप्त अधिकारों से उन्हें अवगत कराते हुए सूचित किया गया कि कृपया बताये कि आप अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी में से किसके समक्ष कराना चाहते हैं, इस पर उनके द्वारा बताया गया कि आप मेरी तलाशी मजिस्ट्रेट के समक्ष ले सकती हैं। इस पर इनके द्वारा मजिस्ट्रेट श्री हेमंत अंकुर, अचंलाधिकारी बसंतपुर को घटना से अवगत कराते हुए घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने का आग्रह किया गया। कुछ देर के बाद समय 22:40 बजे स्थानीय मजिस्ट्रेट श्री हेमंत अंकुर, अचंलाधिकारी, बसंतपुर

बरामद समान को जब्त करने से संबंधित इलेक्ट्रानिक तुला मशीन, जरूरी कागजात एवं आवश्यक समान लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। तत्पश्चात उपस्थित भीड़ में मौजूद लोगों को स्वतंत्र साक्षी बनने हेतु अनुरोध किया गया, किन्तु कोई भी साक्षी बनने हेतु तैयार नहीं हुए। तब साथ में मौजूद बल निमा कुमारी एवं राजकिशोर पासवान को स्वतंत्र साक्षी बनाते हुए तालाशी नियमों का पालने करते हुए अपनी तलाशी देने एवं उनकी तलाशी लेने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पकड़ायी महिला को विधिवत तलाशी लेना प्रारंभ की तो तलाशी के दौरान उक्त महिला के हाथ में लिये गुलाबी रंग का पर्स को खोला गया तो उसके अंदर काला रंग का पन्नी में लिपटी हुई दो पैकेट बरामद हुआ। दोनों पैकेट पारदर्शी एवं शीलबंद था। उक्त दोनों पैकेट के अंदर रखा पदार्थ ब्राउन शुगर जैसा दिखने वाला पदार्थ था, जो गीला एवं मिट्टी जैसा था। तत्पश्चात उन्हीं दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा ब्राउन सुगर के दोनों पैकेट को इलेक्ट्रानिक मशीन से बारी–बारी से वजन किया गया तो प्रत्येक पैकेट का वजन 102 ग्राम पाया गया। इस प्रकार बरामद दोनों पैकेट का कुल वजन 204 ग्राम हुआ। जिसे विधिवत जब्त कर A-1 एवं A-2 मार्का से चिन्हित किया गया। पकड़ायी महिला के हाथ से वीवो कंपनी का टचस्क्रीन मोबाईल फोन बरामद हुआ एवं उसमें दो एयरटेल कंपनी का सीम क्रमशः–7542944152, 9162114132 लगा हुआ था। तत्पश्चात उपरोक्त बरामद ब्राउन शुगर एवं मोबाईल को विधिवत जब्त कर सीलबंद किया गया। जब्ती सूची पर एवं सीलबंद ब्राउन शुगर के पैकेट पर दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिये। जब्ती सूची पर एवं जब्त सीलबंद सभी सामानों पर मजिस्ट्रेट एवं अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान बना दिया गया। जब्ती सूची की एक प्रति पकड़ायी महिला को दी गयी। जब्ती प्रकिया का विडियोग्राफी किया गया। बरामद ब्राउन शुगर के बारे में पूछने पर पकड़ायी महिला बतायी कि इनके पति मोहम्मद अख्तर खान एवं अपने सहयोगी संतोष कुमार सिंह उर्फ चायनीज एवं मुकेश कुमार सिंह दोनों के साथ मिलकर ब्राउन शुगर बेचने का काम करते हैं। अपने पति के बताये अनुसार ही ये बरामद ब्राउन शुगर को बंगाल से लेकर आ रही थी, किन्तु पकड़ी गयी। इस प्रकार प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखना एवं परिवहन करना एक सज्ञेय अपराध है और उक्त मादक पदार्थ मलाईका खातुन के पास से बरामद हुआ है। अतः उन्हें गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया, जिसकी सूचना अभियुक्त मलाईका खातुन के परिजन को दी गई। तत्पश्चात ब्राउन सुगर (हिरोईन) कुल 204 ग्राम, वीवो मोबाईल एवं गिरफ्तार महिला मलाईका खातुन को पुलिस बल के निगरानी में थाना लाया गया।

आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन के पूर्व कोई जमानत आवेदन न तो विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से वीरपुर थाना कांड संख्या–218/2018 अंतर्गत धारा–467, 468, 414 भा0दं0वि0 एवं धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, वीरपुर थाना कांड

संख्या–188/2020 अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, वीरपुर थाना कांड संख्या–179/2020 अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, तथा वीरपुर थाना कांड संख्या–390/2021 अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम दर्ज है, जिसमें सभी मुकदमा में न्यायालय द्वारा जमानत पर हैं। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल ही निर्दोष व बेकसुर है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रस्तुत वाद में जब्त वर्णित ब्राउन सुगर आवेदक अभियुक्त के पास से अथवा घर से बरामद नहीं किया गया है। वर्तमान मुकदमा में जिस महिला अभियुक्ता मलाईका खातुन से वर्तमान मुकदमा में वर्णित जब्त ब्राउन सुगर (हीरोईन) बरामद हुआ है, उस मलाईका खातुन के मात्र इतना कहने पर कि वर्तमान मुकदमा में मलाईका खातुन के पति अख्तर खान, संदीप कुमार सिंह उर्फ चाईनीज एवं संदीप कुमार सिंह का भाई मुकेश कुमार सिंह के साथ मिलकर ब्राउन सुगर (हीरोईन) का काम करता है, जिस आधार पर प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई मुकेश कुमार सिंह को पुलिस अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया है, जिसे आवेदक अभियुक्त के भाई मुकेश कुमार सिंह को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या–81650/2025 दिनांक–16.12.2025 के द्वारा जमानत दिया गया है। जिस आदेशानुसार आवेदक अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर है। वर्तमान मुकदमा के अभियुक्ता मलाईका खातुन के पास से वर्णित ब्राउन सुगर (हीरोईन) बरामद हुआ है, उसको माननीय उच्च न्यायालय, पटना के क्रिमिनल मिसलेनियस–22197/2026 दिनांक–09.04.2026 के द्वारा जमानत दिया गया है, जिस आदेशानुसार अभियुक्ता मलाईका खातुन वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर हैं। आवेदक अभियुक्त वो वर्तमान मुकदमा के अभियुक्ता मलाईका खातुन एक ही गांव के रहने के कारण ग्रामीण राजनीति के कारण आवेदक अभियुक्त के ग्रामीण विद्वेषी राजनीतिज्ञों के बहकावे में आकर आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस को झूठा बयान देकर वर्तमान मुकदमा में गलत तरीका से झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–10.02.2026 से कारा में संसीमित है। आवेदक अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे तथा उपरोक्त वाद से संबंधित किसी भी साक्ष्य व साक्षी को प्रभावित नहीं करेंगे एवं वह बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उन्हें नियमित जमानत प्रदान करने की कृपा की जाए।

अभियुक्त आवेदक दिनांक–10.02.2026 से कारा में संसीमित है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुये कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन करते हैं।

अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत कांड के नामजद अभियुक्त हैं। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि गिरफ्तार

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।
एन0डी0पी0एस0 वाद संख्या–42/2025 (S-1)
CIS No.-44/2026
वीरपुर थाना काण्ड संख्या–112/2025
I.A-1/2026

अभियुक्ता मलाईका खातुन के साथ मिलकर मादक पदार्थ का अवैध खरीद–बिक्री किया जाता है। सह–अभियुक्त मलाईका खातुन को मादक पदार्थ ब्राउन शुगर (हिरोईन) कुल 204 ग्राम के साथ पुलिस बल के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि इन्होंने अपने पति मो0 अख्तर खां एवं सहयोगी संतोष कुमार सिंह उर्फ चायनीज एवं सह–अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह के साथ मिलकर विगत दो वर्षों से ब्राउन शुगर खरीदने एवं बेचने का कारोबार करते आ रहे हैं (कंडिका–17)। कंडिका–2 में जप्ती–सूची का उल्लेख है, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कुल 204 ग्राम ब्राउन शुगर (हिरोईन) जब्त किये जाने का उल्लेख है। कंडिका–7 में सूचिका ज्योति कुमारी, पु0अ0नि0, वीरपुर का पुनः बयान अंकित है, जिसमें उन्होंने प्राथमिकी में वर्णित तथ्य का पूर्णतः समर्थन की है। कंडिका–8 में साक्षी मुकेश कुमार सिंह, कंडिका–9 में साक्षी राजीव सहनी, कंडिका–10 साक्षी निभा कुमारी का बयान अंकित है, जिसमें इन्होंने अपने–अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित तथ्य का पूर्णतः समर्थन की है। कंडिका–40 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर का पर्यवेक्षण टिप्पणी का उल्लेख है, जिसमें आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध मामला सत्य पाया गया है। कांड दैनिकी संख्या–(द्वितीय पुरक) कंडिका–23 में आवेदक अभियुक्त संतोष कुमार सिंह उर्फ चायनीज के विरूद्ध पूर्व से पांच आपराधिक इतिहास दर्ज होने का उल्लेख हैं। कांड दैनिकी संख्या–(द्वितीय पुरक) की कंडिका–75 में आवेदक अभियुक्त संतोष कुमार सिंह उर्फ चायनीज के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–139/2026 दिनांक–14.04.2026 अंतर्गत धारा–8(c)/21(b)/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट समर्पित किया जा चुका है। इस प्रकार, आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर 204 ग्राम ब्राउन शुगर (हिरोईन) का तस्करी करने के अपराध में संलिप्तता परीलक्षित होता है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध 204 ग्राम ब्राउन शुगर (हिरोईन) तस्करी करने का आरोप है, जो न्यूनतम मात्रा से अधिक, परन्तु वाणिज्यिक मात्रा से कम है। अतः आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान जारी है, ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा आवेदक अभियुक्त यथा संतोष कुमार सिंह उर्फ चाईनीज का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार जमानत आवेदन निस्तारित किया जाता है।

लेखापित
Sd/-
(तेज प्रताप सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।